2021/131
2021/132

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

(1) प्रकरण संख्या 10/2021 (डूंगरपुर डिकी)

1. मोहन पिता नानका जी, जाति ननोमा (भील), निवासी लेहणा, पटवार क्षेत्र खजूरी, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. कमला शंकर पिता नानका जी, जाति ननोमा (भील), निवासी लेहणा, पटवार क्षेत्र खजूरी, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सवजी पिता रमेश जी, जाति ननोमा (भील), निवासी लेहणा, पटवार क्षेत्र खजूरी, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रूपली पत्नी कमला शंकर जी भगोरा (भील), निवासी नया गांव, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. मनजी पिता काला जी कोटेड मीणा, निवासी नया गांव, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 11/2021 (डूंगरपुर डिकी)

1. मोहन पिता नानका जी, जाति ननोमा (भील), निवासी लेहणा, पटवार क्षेत्र खजूरी, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. कमला शंकर पिता नानका जी, जाति ननोमा (भील), निवासी लेहणा, पटवार क्षेत्र खजूरी, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. सवजी पिता रमेश जी, जाति ननोमा (भील), निवासी लेहणा, पटवार क्षेत्र खजूरी, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती रूपली पत्नी कमला शंकर जी भगोरा (भील), निवासी नया गांव, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. मनजी पिता काला जी कोटेड मीणा, निवासी नया गांव, तहसील बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बिछीवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाड़ा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18.03.2021 अंतिम डिक्री दिनांक 08.06.2021 प्र.सं. 25/20

---/---

उपस्थित वक्त बहसः–1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री सत्य प्रकाश व्यास अभिभाषक रे. सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 18–11–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा गांव लेहणा में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी संवत् 2070 से 2073 में आराजी नंबर 60 रकबा 3 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें वादीयाका 3/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एव उसकी बहन समसु का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज है। समसु के फोत होने पर मोहन पिता नानका का 7/48 हिस्सा, सवजी पिता नानका का 1/3 हिस्सा तथा कमला शंकर पिता नानका का 1/12 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादीया ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजियात का 3/16 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया है तथा पक्षकारान आपस में बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु प्रतिवादीगण वादीया की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। अतः वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का विभाजन किया जावे तथा वादीया के 3/16 हिस्से में व्यवधान नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति के आधार पर दिनांक 18–03–2021 को निर्णय पारित करते हुए [illegible] का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी [illegible] प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 08–[illegible] जारी की,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested

जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में उक्त दोनों दिनांक 13–07–2021 को प्रस्तुत की गयी है।

3. दोनों अपीलें दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश व्यास उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. दोनों अपीलों में विवादित आराजियात तथा पक्षकारान समान होने तथा अधीनस्थ न्यायालय के एक ही प्रकरण संख्या 25/2020 में पारित प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध होने से दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति संबंधित पत्रावली पर रखी जावे।

5. प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं निवेदन किया कि कोविड–19 के समय एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है तथा ऐसे मामलों में मयाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRJ (22) 2015 Page 482 (SC), RRT 2011 (1) Page 602 प्रस्तुत की।

6. हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टया न्यायाहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

7. दोनों अपीलों के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। दिनांक 18–03–2021 को अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र [illegible] की सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो [illegible] सिद्धान्तों के विपरीत है। विभाजन में मात्र वादीया/रेस्पोडेन्ट [illegible] 1 रूपली का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हिस्सा ही अलग किया गया है, शेष काश्तकारों का हिस्सा शामलाती रखा है तथा विभाजन से पूर्व तहसीलदार द्वारा कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2017 (1) Page 689, RRT 2014 (1) Page 258, RRT 2011-12 (Supp.) Page 698 प्रस्तुत की।

8. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश हुआ है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्टगण की तामील हुई है, फिर भी न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर वाद डिक्री किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

9. हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जहां तक प्रारम्भिक डिक्री का प्रश्न है, दिनांक 11–02–2021 की आदेशिका अनुसार पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री कृष्णराज सिंह का वकालतनामा प्रस्तुत है, शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से बइन्तजार उपस्थित होने/जवाब आदि हेतु प्रकरण में दिनांक 18–03–2021 की पेशी नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक को अधिवक्ता उभयपक्ष की उपस्थिति लिखकर सहमति के आधार प्रारम्भिक डिक्री पर जारी की गयी है, जबकि सहमति बाबत सिर्फ प्रतिवादी संख्या 3 अधिवक्ता के ही हस्ताक्षर हैं, शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए हैं। ऐसी स्थिति में सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

जहां तक अंतिम डिक्री की प्रश्न है, विभाजन में मात्र वादीया रूपली के हिस्से को ही अलग रखा गया है, शेष पक्षकारान के हिस्से अलग नहीं किये गये हैं तथा उनके हिस्से को शामिल रखा गया है, जो विभाजन नियम 18 से 21 के विपरीत है। ऐसी स्थिति में [illegible] डिक्री भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

10. अतः दोनों अपीलें अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 18–03–2021 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 08–06–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी करें एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी कर उनकी उपस्थिति में स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाकर विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुए अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31–12–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते उदयपुर

18.11.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:08:24 IST
Reason: SelfAttested